राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती 2013)/एफ– /2016/274 दिनांकः 30-09-2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति कमांक 147 दिनांक 26.02.2013 के संदर्भ में निदेशालय के आदेश कमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती–2013)/2016/220 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा 554 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे कि निरन्तरता में चयन समिति फार्मासिस्ट भर्ती 2013 द्वारा 35 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र जांच में सही पाये जाने पर अपने पत्र क्रमांक 1362 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा अंतिम चयन कर सूची प्रस्तुत की है। इन 35 अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) का फार्मासिस्ट के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3600/– में कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थीयों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–एफ 14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 13200/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हे फार्मासिस्ट के पद की नियमित पे– बैण्ड में ग्रेड–पे देय होगी।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 16443/2015, 15352/2015, 15851/2015, 3578/2015 एवं 4995/2016 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर विचाराधीन याचिकाओ के निर्णय के अध्यधीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

संलग्न पदस्थापन सूची निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जा रही है:–

1. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश कमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनाँक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनाँक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाना है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
6. अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। सभी अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन किसी भी संस्थान में किया गया हो प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी कार्यालय में ही देगें। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला

कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अभ्यर्थियों को अपने अधीन अथवा जिन संस्थानों में पदस्थापन किया गया है में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेगें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों को उनके जिले में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही पदस्थापित करेगें।

7. उक्त सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, आरएनसी का 02.4.13 तक पंजीयन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिष्ठ/मु.चि.एवं स्वा.अधि.) एवं सबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
9. अभ्यर्थी का पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली सबंधित संस्था से सत्यापन करायेगें। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जावेगें। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
10. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.05 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
11. यह नियुक्तियॉ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
12. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनारंक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी हेाने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छःमाह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें कीमीलेयर/नॉनकीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये । इन वर्गो के कीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग/बोथलेग) में चयनित है, उन्हे अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मंण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्ततः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उन्हे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुर्नविवाह नहीं किया है।(संलग्न शपथ पत्र का प्रारूप)
16. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धुमपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।
17. जिन अभ्यर्थियों को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।

18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, राजस्थान जयपुर में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
19. जिन अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध कियागया है उन अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवास करने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेगें।
21. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प0 1(1) कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। (प्रति संलग्न है)
22. ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये जा रहे है।
23. इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि 18.10.2016 निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेगें।

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती 2013)/एफ– /2016/2274 दिनांकः 30-09-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0विभाग,राज0,जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
7. निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनाँक 03/10/2016 को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें तथा निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश कमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान के लिये जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त आदेशित करें :–
   (i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

(ii) जिन अभ्यर्थीयों का चयन एसटी (टीएसपी)/एससी (टीएसपी) क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उनके द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

(iii) ओबीसी/एसबीसी वर्ग में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रिमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।

(iv) आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम अथवा पिता एवं पति दोनो के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे, केवल पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं।

(v) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(vii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावें।

(viii) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(ix) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र 10/—रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।

(x) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट—छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नही करावें।

(xi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(xii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों को उनके जिले में चयनित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित करेगें।

(xiii) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिले मे उनके अधीन तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के अधीन फार्मासिस्ट के ऐसे पदों पर जिन पर अन्य संवर्ग के कार्मिक कार्यरत है उन्हें रिक्त मानकर उन पर नवचयनित फार्मासिस्ट का पदस्थापन करें। फार्मासिस्ट के पदविरूद्ध कार्यरत अन्य संवर्ग के कार्मिकों की सूची एवं जिले में अन्य सबंधित सवंर्गो के रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करें जिससे निदेशालय स्तर से इनका अग्रिम पदस्थापन किया जा सकें। फार्मासिस्ट के पदो के विरूद्व कार्यरत अन्य सवंर्गो के कार्मिकों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर नहीं करें।

10. संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। उसके पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त कर उनके लिये आवंटित स्थान पर पदभार ग्रहण करे।

11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।

12. आदेश पत्रावली।

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 के संदर्भ में फार्मासिस्ट पद हेतु चयनित 35 अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची।

Sr. No.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Husband Name	Date of Birth	Gender	Category	Other Special Categories	Place Of Posting Under CMHO
1	6010011101	Mukesh Soni	Shankar Lal	-	6-Aug-79	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Banswara
2	6010011293	Asu Lal Bishnoi	Bhakhara Ram Bishnoi	-	10-Jan-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Banswara
3	6010011346	Pawan Kumar Gupta	Jagdish Prasad Gupta	-	2-Oct-87	Male	General/Unreserved	NA , NA	Banswara
4	6010011996	Vishnu Kumar	Lakhan Lal	-	30-Jul-82	Male	General/Unreserved	NA , NA	Bharatpur
5	6010010290	Udai Bhan Singh	Badan Singh	-	1-Jul-76	Male	S.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Bharatpur
6	6010010235	Chandrveer Singh Tanwar	Rameshwar Prasad	-	11-Jan-84	Male	S.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Bharatpur
7	6010010011	Amzad Khan	Ahamad Ali Khan	-	10-Jul-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Chittorgarh
8	6010011252	Kamlendra Singh Khinchi	Purushottom Singh Khinchi	-	26-Dec-78	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
9	6010011097	Jeetendra Kumar Sharma	Om Prakash Sharma	-	5-Jun-81	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
10	6010011469	Lovenish Ameta	Ramesh Chandra Ameta	-	27-Mar-74	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
11	6010011391	Manish Champawat	Mahipal Champawat	-	6-Jun-85	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
12	6010010147	Manoj Kumar	Mahavir Prasad Sharma	-	27-Jul-80	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
13	6010011986	Mahesh Paneri	Keshri Lal Paneri	-	17-Aug-78	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
14	6010004979	Shyam Chandel	Khem Raj Chandel	-	30-Dec-74	Male	S.C.	NA , NA	Chittorgarh
15	6010011201	Hemant Sharma	Ghanshyam Lal Sharma	-	5-Jan-80	Male	General/Unreserved	NA , NA	Chittorgarh
16	6010010981	Sampat Lal Jat	Bhagwan Lal Jat	-	8-Jun-84	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Chittorgarh
17	6010011370	Vimal Kumar Soni	Hari Ram Soni	-	1-Jul-80	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Dholpur
18	6010012108	Ashok Kumar Basodia	Karan Singh Basodia	-	2-Apr-79	Male	S.C.	NA , NA	Dholpur
19	6010012364	Bhanu Prakash Madhu	Makhan Ram Madhu	-	10-Dec-78	Male	S.C.	NA , NA	Dholpur

20	6010011336	Ramavatar Saini	Ram Kalyan Saini	-	5-Feb-72	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Dungarpur
21	6010011402	Ravi Kumar Mittal	Amar Chand Mittal	-	27-Mar-84	Male	General/Unreserved	NA , NA	Dungarpur
22	6010010102	Padam Singh Bhati	Jugat Singh Bhati	-	5-Jul-79	Male	General/Unreserved	NA , NA	Dungarpur
23	6010010049	Rajesh	Mula Ram	-	17-Jun-74	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Dungarpur
24	6010011167	Pawan Kumar Parmar	Pratap Chand	-	1-Jul-73	Male	S.C.	NA , NA	Dungarpur
25	6010003100	Sapna Garg	Onkar Nath Gupta	Rinku Kumar Garg	2-Apr-79	Female	General/Unreserved	NA , NA	Jaipur-I
26	6010009934	Sukhdev Soni	Sagarmal Soni	-	31-Dec-78	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Jaipur-I
27	6010010044	Virendra Singh	Kumer Singh	-	20-Nov-81	Male	General/Unreserved	NA , NA	Jaipur-I
28	6010010739	Ravi Shankar	Ved Prakash	-	6-Feb-78	Male	S.C.	NA , NA	Jaipur-I
29	6010011868	Amit Kumar Arora	Satish Arora	-	30-Oct-85	Male	General/Unreserved	NA , NA	Jhalawar
30	6010011224	Satish Kumar Sharma	Dwarka Prasad	-	2-May-78	Male	General/Unreserved	NA , NA	Jhalawar
31	6010011350	Radheshyam Sharma	Shankar Lal Sharma	-	4-Mar-79	Male	General/Unreserved	NA , NA	Jhalawar
32	6010010786	Dinesh Gottam	Kanwar Lal Gottam	-	29-Dec-77	Male	General/Unreserved	NA , NA	Jhalawar
33	6010011261	Pawan Kumar Bairagi	Suresh Chandra Bairagi	-	28-Mar-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	Jhalawar
34	6010011514	Manish Kumar Bhavsar	Bhanwar Lal Bhavsar	-	21-Oct-85	Male	General/Unreserved	NA , NA	Rajsamand
35	6010011527	Kamlesh Shrimali	Sohan Lal Shrimali	-	5-Sep-76	Male	General/Unreserved	NA , NA	Rajsamand

30-9-16